तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज द्रोपती बनाम कानी वगै. मुकदमा नंबर 191/2024	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
18.08.2025	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्षकारान उपस्थित। बहस प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पर उभयपक्षकारान सुनी गई। प्रतिवादी/ प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस करतें हुए कथन किया गया कि वादी द्वारा श्रीमान्जी के समक्ष उपरोक्त अनुवानी का दावा प्रस्तुत किया हैं जो पूर्णतया गलत तथ्यों व बिना किसी वाद हेतुक के प्रस्तुत किया गया हैं जो काबिल खारिज है। वादी व प्रतिवादी संख्या 01 व 02 एक ही गांव के निवासी हैं। प्रतिवादी संख्या 01 की मृत्यु आज से करीबन 10 वर्ष पूर्व व प्रतिवादी संख्या 02 की मृत्यु आज सें करीबन 05 वर्ष पूर्व हो चुकी हैं जिसकी वादी को पूर्व में ही पूर्ण रूप सें जानकारी है। मृतक के विरूद्ध किसी प्रकार से दावा नही लाया जा सकता। ऐसी स्थिति में दावा काबिल खारिज है। प्रतिवादी संख्या 03 वादगत कृषिभूमि का संयुक्त खातेदार हैं। वादगत कृषिभूमि में प्रतिवादी संख्या 03 का 253/725 हिस्सा हैं। वादी नें अपने वाद के पैरा संख्या 05 में यह उल्लेख किया हैं कि वह दिनांक 09.02.2024 को प्रतिवादीगण से सहमति से विभाजन हेतु निवेदन करने पर प्रतिवादीगण द्वारा विभाजन से इंकार का तथ्य उल्लेख किया हैं जबकि वास्तविक तथ्य यह कि प्रतिवादी संख्या 01 व 02 की मृत्यु पूर्व में ही हो चुकी हैं तथा प्रतिवादी संख्या 03 सें वादी कभी भी नही मिला। प्रतिवादी संख्या 03 भी वादगत कृषिभूमि में विभाजन चाहता हैं। वादी नें केवल दावा लाने के उदेश्य सें गलत तथ्यों का उल्लेख किया हैं। चूंकि दिनांक 02.09.2025 को प्रतिवादी संख्या 01 व 02 जीवित ही नही थें ऐसी स्थिति में वादी का दिनांक 02.09.2025 को सहमति सें विभाजन का निवेदन तथ्य पूर्णतया काल्पनिक व दावा को रंगत देने के आशय से उल्लेखित किया गया है । ऐसी स्थिति में दावा में कोई वाद हेतुक नही है । वादी का दावा काबिल खारिज है। वादी नें दावा के साथ अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया हैं तथा न्यायालय को मुगालते में रखते हुए एक पक्षीय अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाई हैं। वादी का उदेश्य मात्र प्रतिवादी संख्या 03 को परेशान करना हैं । वादी का दावा मात्र विभाजन व चिरनिषेधाज्ञा का हैं। मृत व्यक्ति द्वारा जीवित व्यक्ति को कभी भी धमकी नही दी जा सकती तथा प्रतिवादी संख्या 03 नें कभी भी वादी को धमकी नही दी है। प्रतिवादी संख्या 03 भी वादगत कृषिभूमि में विभाजन चाहता हैं । ऐसी स्थित में बिना वाद हेतुक के वादी का दावा काबिल खारिज हैं एवं वादी का दावा वाद हेतुक के अभाव में खारिज किये जाने का निवेदन किया गया। वादी/अप्रार्थी ने अपनी बहस करतें हुए कथन किया गया कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी की परिधि में नही नही आता है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में ऐसा कोई तथ्य नही अकिंत किया है जिससे प्रार्थीनी का दावा विधि विरूद्ध हो। अप्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। वादीनी के दावा की मद संख्या 2 के अनुसार वादीनी का कब्जा काश्त 472/725 हिस्सा में है एवं शेष 253 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 का है जिसको विभाजन करवाने के लिए यह दावा पेश किया है दावा के अनुसार प्रतिवादी संख्या 3 विभाजन के लिए असहमत होने के कारण प्रतिवादी संख्या 3 के विरूद्ध दावा में वादहेतु दिनांक 02.09.2024 को प्राप्त हुआ है इसलिए वादीनी में दावा में वादहेतु होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। प्रतिवादी	

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2025.09.09 17:28:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

संख्या 3 को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के स्वर्गवास की सूचना होने के बावजूद न्यायालय को सूचना नही दी है एवं सीधे ही प्रार्थना पत्र पेश किया है जो प्रार्थना पत्र विधि सम्मत नही है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 लोडेरा गांव में नही रहते है जो अपना हिस्सा अपने भाई के पक्ष में मौखिक परित्याग कर दिया था अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की सूचना अप्रार्थी संख्या 3 के प्रार्थना पत्र से दिनांक 07.07.2025 को हूई है जिनके विधिक वारिसानो को पक्षकार संयोजित किया जाना है प्रतिवादी संख्या 3 पत्रावली में मौजूद है जिनके विरूद्व विभाजन चाहा गया है प्रार्थी द्वारा न्यायायल को प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा ऐसी सूचना नही दी है इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। आदेश 07 नियम 11 के प्रावधानो के अनुसार वादहेतु के सम्बन्ध दावा की प्लीडिंग से तय होता है जो दावा में अकिंत है एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का स्वर्गवास होने के कारण उनके विधिक वारिसानो की जानकारी हासिल कर पेश की जानी है वादीनी के दावा में वादहेतु निहित होने एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के स्वर्गवास की जानकारी पूर्व में नही होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 की परिधि में नही आता है। एवं प्रतिवादी/ प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. का इसी स्तर पर खारिज किये जाने का निवेदन किया गया एवं अपनी बहस के समर्थन में माननीय न्यायालय बोर्ड ऑफ रेवन्यू के न्यायिक दृष्ट्रान्त RLW 2018 (2) REV.1052 पृष्ठ संख्या 1052 से 1055 पेश की गई।

उभयपक्षकारान द्वारा प्रस्तुत तर्को पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र के निस्तारण के लिए सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 का अवलोकन कर लेना उचित रहेगा। जो निम्न प्रकार से है:–

आदेश 7 नियम 11 वादपत्र का नामंजूर किया जाना–वाद पत्र निम्नलिखित दशाओं में नामंजूर कर दिया जावेगाः–

(क) जहां वह वादहेतुक प्रकट नहीं करता है,

(ख) जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्याकंन कम किया गया है और वादी मूल्याकंन का ठीक करनें के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायलय ने नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता है,

(ग) जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्याकंन ठीक है किन्तु वादपत्र अपर्याप्त स्टाम्प–पत्र पर लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प–पत्र के देने के लिये न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर, जो न्यायालय ने नियम किया है, ऐसा करने में असफल रहता है,

(घ) जहां वादपत्र में के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है,

(परन्तु मूल्याकंन की शुद्धि के लिए या अपेक्षित स्टाम्प– पत्र के देने के लिए न्यायालय द्वारा नियत समय तब तक नहीं बढाया जाएगा जब तक कि न्यायलय का अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से यह समाधान नहीं हो जाता है कि वादी किसी असाधारण कारण से, न्यायालय द्वारा नियत समय के भीतर, यथास्थिति मूल्यांकन की शुद्धि करने या अपेक्षित स्टाम्प–पत्र के देने से रोक दिया गया था और समय बढाने से इंकार किए जाने से वादी के प्रति गंभीर अन्याय होगा,

(च) जहां इसे डुप्लिकेट में फाइल नहीं किया गया है।

(छ) जहां वादी नियम 9 के प्रावधान का पालन करने में विफल रहता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2025.09.09 17:23:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

हमने उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं न्यायिक दृष्टान्त का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के विरूद्ध अनुतोष चाहा गया। प्रस्तुत वाद की मद संख्या 05 में वादी ने समस्त प्रतिवादीगण के विरूद्ध दिनांक 02.09.2024 को वादहेतुक समस्त प्रतिवादीगण के विरूद्ध अंकित किया है। जबकि प्रतिवादी संख्या 01 की मृत्यु हुए करीबन 10 वर्ष एवं प्रतिवादी संख्या 02 की मृत्यु करीबन 05 वर्ष पूर्व हो चुकी है। वादी द्वारा मृत व्यक्तियों के विरूद्ध वाद प्रस्तुत किया गया है। वादी द्वारा बिना वाद हेतुक के दावा पेश किया गया है। वादी वाद आदेश 07 नियम 11 की परिधि में आता है। लिहाजा प्रतिवादी/ प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वादी वाद वादहेतुक प्रकट नहीं के कारण इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। वादी नया वाद पेश करनें हेतु स्वतंत्र है। पत्रावली बाद तकमीलपूर्ति वाजिब नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(शुभम शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2025.09.09 17:28:14 IST
Reason: SelfAttested